



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1083]  
No. 1083]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2008

का.आ. 1894(अ).— पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट की गई प्रयोगशालाओं को, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारियों द्वारा वायु, जल, मृदा अथवा अन्य पदार्थों के भेजे गए नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषणकर्ता के रूप में उक्त तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है; और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 18 जुलाई, 2007 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामशः :

उक्त अधिसूचना की संलग्न तालिका (1) में, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामशः :-

## तालिका

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"8	मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड पो. बॉक्स 125, सेसाघोर 20 इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स, पाट्टो, पणजी, गोवा-403001	(1) सुश्री लीना वेनुकर (2) श्री प्रदीप रायकर (3) श्री अरविंद हंडीगोई	31-7-2008 से 30-7-2013"

(ii) क्रम संख्या 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामशः :-

"69	मैसर्स साडेकर इन्वायरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड हाउस नं. 306 और 307 प्लॉट नं. 61, पटेल इस्टेट, रेज मागोज, वेरेम, अलॉट 50 बेटिम, बार्डेज (पणजी)- 403101 (गोवा)	(1) श्री विनायक गंगाराम कुडकर	31-7-2008
		(2) श्री प्रदीप प्रभाकर जोशी	से
		(3) सुश्री पूनम जगन्नाथ देशप्रभु	30-7-2013"

[फा. सं. क्यू 15018/7/2003-सी पी डब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 की संख्या का.आ. 1174 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 के सं. का. आ. 1811 (अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 के सं. का.आ. 55(अ), दिनांक 4 मार्च, 2008 के सं. का.आ. 428 (अ) और दिनांक 11 अप्रैल, 2008 के सं. का.आ. 865(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2008

**S.O. 1894 (F).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognizes the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(F), dated the 18th July, 2007, namely :—

In the Table appended to the said notification, (i) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"8	M/s. Sesa Goa Ltd. P.O. Box 125, Sesaqhor 20 Economic Development Corporation Complex, Patto, Panjim, Goa-403001	(1) Miss Leena Venuckar (2) Shri Pradeep Raikar (3) Shri Arvind Handigoi	31-7-2008 to 30-7-2013"

(ii) after serial number 68 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :

"69	M/s. Sadekar Enviro Engineers Private Limited, House No. 306 & 307 Plot No. 61, Patel Estate, Reis Magos, Verem, Alt 50 Betim, Bardez (Panaji) 403101 (Goa)	(1) Mr. Vinayak Gangaram Kudkar (2) Mr. Pradeep Prabhakar Joshi (3) Miss Poonam Jagganath Deshprabhu	31-7-2008 to 30-7-2013"
-----	--	--	-------------------------

[F.No. Q. 15018/7/2003-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

**Note:**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 1174 (F), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended vide notification numbers S.O. 1539(F), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811 (F), dated the 24th October, 2007 and S.O. 55(F), dated the 9th January, 2008, S.O.428(F), dated the 4th March, 2008 and S.O. 865(F) dated the 11th April, 2008.